फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **भगु** | विपक्षी :– **राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट | पत्रावली संख्या :– **132/25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/447**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 10.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की राजस्व ग्राम लदानी की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2077–80 के खाता संख्या 375 पर दर्ज आराजी नम्बर 2018/214 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म बीड भगु पत्नी बालु हिस्सा पूर्ण जाति गाडरी सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्ष 2008 में चतरभुज, भैरूलाल पिता नारायण गाडरी, गुलाबी पत्नी नारायण गाडरी निवासी लदानी से खरीदी गई थी। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भगु पत्नी बालू दर्ज है। जिसके आधार पर ग्राम लदानी के नामान्तरकरण संख्या 552 में भगु पत्नी बालु दर्ज है अर्थात राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नही हुई है। राजस्व रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण हुआ है। मौतबिरान से पूछताछ से जाहिर आया की भगु पत्नी बालु व भगु पत्नी गोकुल दोनो एक ही महिला है। भगु के सभी सरकारी दस्तावेज में भगु पत्नी गोकुल है। अधिवक्ता प्रार्थीया एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीया द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपना स्वयं के नाम के आगे पति का नाम बालु गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं के आधार कार्ड की फोटोप्रति, राशनकार्ड की फोटोप्रति, वोटर आईडी की फोटोप्रति, जनआधार कार्ड की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अनुसार नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीया के पिता का नाम गोकुल है। ग्राम पंचायत एवं तहसीदार द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि भगु पत्नी बालु एवं भगु पत्नी गोकल एक ही महिला है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में आपस में बोलचाल में अलग नाम से पुकारते है जबकि वास्तविक नाम अलग होता है। इस प्रकरण में भी भूमि क्रय करते समय प्रार्थीया के पति के दो नाम बालू एवं गोकुल होने से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में बालू अंकित कर दिया गया। जिससे नामान्तरकरण में भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार ही दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थीया के अन्य सभी दस्तावेज में पति का नाम गोकुल दर्ज है। इस प्रकरण में भी ग्रामीण परिवेश में जिस नाम से पुकारते थे वही नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया, जो कि न्यायोचित नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:42 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लदानी पटवार हल्का लदानी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 375 पर दर्ज आराजी नम्बर 2018/214 किता 1 कुल रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम भगु पत्नी बालु के बजाय भगु पत्नी बालु उर्फ गोकल संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:42 IST
Reason: SelfAttested